सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक — 06/2019

श्री सुभाष यादव,
कैलाश नगर, वार्ड कमांक 11,
दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा, छ.ग., ...**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ....**उत्तरवादी**

—आदेश—

(पारित दिनांक 18/07/2019)

श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर, वार्ड कमांक 11, दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा, छ.ग के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 29-04-2019 को प्राप्त किया गया। जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा वांछित सूचना का प्रदाय आवेदक को नहीं करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दिनांक 04-06-2019 को प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमांक एफ 8-91/22/सू.अ./पं.ग्रा.वि.वि./2013 नया रायपुर दिनांक 31-05-2013 के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित जिले के कलेक्टर होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के साथ जन सूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन दिनांक 29-04-2019 जिसमें जन सूचना अधिकारी कार्यालय का पावती है, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील शुल्क 50.00 रू. मात्र भारतीय पोस्टल आर्डर (रू. 10-10 के पांच पोस्टल आर्डर कमांक कमशः 47F466322, 47F466323, 47F466324, 47F466325, 47F466326) की मूल प्रति संलग्न किया है।

(मुहर: न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर)

2 अपीलार्थी के प्रथम अपील का अवलोकन किया गया जिसमें लेख किया है कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा को दिनांक 29-04-2019 को प्रस्तुत आवेदन में (1) ग्राम पंचायत पोंदुम में कितने शौचालय का निर्माण करवाया गया है, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं (2) ग्राम पंचायत पोंदुम में जिन व्यक्तियों के घर शौचालय का निर्माण कराया गया है उनकी सूची व फोटोग्राफ्स की सत्यापित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रदाय करने निवेदन किया गया है जो समय-सीमा समाप्त होने के उपरांत भी उन्हें प्रदाय नहीं की गई है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

3 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा से अपील का जवाब प्रस्तुत करने तथा अपीलार्थी को दस्तावेजों सहित दिनांक 04-07-2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने सूचना पत्र कमांक 3444/रीडर/सूकाअ/06/2019 दिनांक 11-06-2019 जारी किया गया।

4 प्रकरण की सुनवाई तिथि 04-07-2019 को जन सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसके तहत (1) ग्राम पंचायत पोंदुम स्तर से वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु दिनांक 04-06-2019 को ग्राम पंचायत पोंदुम में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने आवेदक को सूचित किया गया था। (2) आवेदक की अनुपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत स्तर से वांछित जानकारी आवेदक के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 27-06-2019 को प्रेषित कर दिया गया था। दोनों कंडिकाओं से संबंधित

दस्तावेज जवाब के साथ संलग्न किया गया है। अपीलार्थी को सूचना पत्र प्रेषित करने उपरांत भी सुनवाई दिनांक 04–07–2019 को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहा।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है :–

1 अपीलार्थी ने अपील के साथ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी दंतेवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साक्ष्य स्वरूप पावती दिनांक 29–04–2019 संलग्न किया है।

2 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसके तहत ग्राम पंचायत पोंदुम स्तर से वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु दिनांक 04–06–2019 को ग्राम पंचायत पोंदुम में आवेदक को आहूत किया गया किंतु उक्त तिथि को आवेदक अनुपस्थित रहने के कारण द्वारा चाही गई सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक के निवास पते पर प्रेषित किया गया है।

3 अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

4 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(2) के तहत अपीलार्थी को 30 दिवस के भीतर सूचना प्रदाय करने का प्रावधान है। जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक के निवास पते पर प्रेषित की गई है। अपीलार्थी को सूचना पत्र तामिल करने के उपरांत भी सुनवाई दिनांक 04–07–2019 को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदाय कर दी गई है तथा अपीलार्थी को पुनः सूचना प्रदाय करने की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अस्वीकार किया जाता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

31/7/19

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सूचना का अधिकार
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क0/९५५/सू.काअ./अपील/प्र.क.–6/2019 दन्तेवाड़ा दिनांक 31–07–2019

प्रतिलिपि :–

1– जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री सुभाष यादव, संवाददाता आज की जनधारा दैनिक अखबार, निवास कैलाश नगर, वार्ड कमांक 11, दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा, छ.ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश से संतुष्ट न हों तो आप 90 दिवस के भीतर नीचे दिये पते पर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी.आई.ओ., एन.आई.सी. केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पताः–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

31/7/1

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सूचना का अधिकार
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

1/8/7/19